



Neutral Citation No. 2026:AHC:21081

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

aरिट बी संख्या- 375 / 2026

श्री राम

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

राजस्व परिषद उ.प्र. और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

अपराजित यादव श्याम लाल

यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

आज़ाद राय मुख्य स्थाई

अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अपराजित यादव राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता और प्रत्यर्थी गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।
2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह निर्देश दिया जाए कि वह पक्षकारों जग नारायण बनाम श्री राम और अन्य के बीच चल रहे पुनरीक्षण संख्या 4024/2025 (कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल20250203004024) का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के अंतर्गत दिनांक 11.08.2025 तक इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर करे।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर की गई उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी पक्षकार संख्या 1 के रूप में शामिल किया गया है 11.8.2025 से प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यह दर्शाने के लिए कि मामले की सुनवाई शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रही है मामले के आदेशपत्र की प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 9 के रूप में संलग्न की गई है।

4. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत पक्षकारों "जग नारायण बनाम श्री राम और अन्य" के बीच लंबित उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 4024/2025 (कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल20250203004024)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का निर्णय पक्षकारों को विधि के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें।

5. तदनुसार रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026

रमीज़